

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 539 / 2010
संस्थान दिनांक 30.12.2010

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. भारत पिता सदन, आयु 22 वर्ष
2. सदन पिता दला, आयु 42 वर्ष,
दोनों निवासीगण- ग्राम जुलवानिया
तहसील राजपुर, जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 23.07.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 218/2010 अंतर्गत 353, 294, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में दिनांक 30.12.2010 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर दिनांक 25.12.2010 को समय शाम लगभग 4:00 बजे, ग्राम जुलवानिया (तहसील ठीकरी) में विनय कुमार तहसीलदार तथा महेन्द्र कुमार गुप्ता पटवारी को अतिक्रमण हटाने के उनके शासकीय कर्तव्य को करने से निवारित करने या भयोपरांत के लिए अभियुक्तगण ने सामान्य आशय निर्मित किया तथा अभियुक्त भारत ने पत्थर लेकर तथा अभियुक्त सदन ने गेती लेकर फरियादीगण को मारने के लिए दौड़कर उन पर हमला करने, विनय कुमार लालदास को मौं-बहन की अश्लील गॉलिया सार्वजनिक स्थान देकर उसे व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ कारित करने तथा विनय कुमार लालदास को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में अभियुक्तों पर धारा 353 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है तथा विनय कुमार लालदास के विरुद्ध किये गये अपराध के लिए भा.द.सं. की धारा 294, 506 भाग-2 का अपराध भी विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी अभियुक्तों को जानते हैं। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। प्रकरण में यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रकरण में दिनांक 11.03.2015 को आहत महेन्द्र गुप्ता तथा अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्तों को धारा 294, 506 भाग-2 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अपराधों से दोषमुक्त किया जा चुका है तथा यह निर्णय अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 353 भा.द.सं. तथा आहत विनय कुमार लालदास के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 294, 506 भाग-2 के संबंध में किया जा रहा है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी महेन्द्र गुप्ता ग्राम जुलवानिया पटवारी हल्का नम्बर 10 में पटवारी था। घटना दिनांक 25.12.2010 को फरियादी महेन्द्र गुप्ता तहसीलदार ठीकरी के साथ ग्राम जुलवानिया (तहसील ठीकरी) में अतिक्रमक भारत के यहाँ अतिक्रमण हटाने गये थे, जब वह अतिक्रमण हटा रहे थे तब लगभग 4:00 बजे अभियुक्तगण भारत एवं सदन वहाँ पर आये व भारत हाथ में पत्थर लिये था तथा सदन हाथ में गेती लिये हुए था। दोनों अभियुक्तगण फरियादी महेन्द्र तथा तहसीलदार को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया देते हुए कहने लगे कि अतिक्रमण हटाया तो जान से खत्म कर देंगे और दोनों अभियुक्तगण फरियादी महेन्द्र तथा तहसीलदार विनय कुमार लालदास को मारने दौड़े तब वे दोनों वहाँ से भागे। दोनों अभियुक्तों ने शासकीय कार्य में बाधा डालकर शासकीय कार्य नहीं करने दिया तथा गॉलिया दी जो सुनने में बुरी लग रही थी। फरियादी महेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा घटना के संबंध में लेखी आवेदन प्रदर्शपी 1 थाने पर दिया था जिसके आधार पर पुलिस ने अभियुक्तगण भारत एवं सदन के विरुद्ध अपराध क्रमांक 218/2010 अंतर्गत धारा 353, 294, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 2 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। पुलिस ने अभियुक्त भारत से साक्षियों के समक्ष एक पत्थर एवं अभियुक्त सदन से एक लोहे की गेती जप्त कर क्रमशः प्रदर्शपी 7 एवं 8 के जप्ती पंचनामे बनाये, अनुसंधान के दौरान फरियादी महेन्द्र कुमार गुप्ता, एवं साक्षीगण विनय कुमार लालदास, दिलीप, माधिया व मांगीलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 353, 294, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 353, 294, 506 भाग-2 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई भी साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि –

क्या दिनांक 25.12.2010 को समय शाम लगभग 4:00 बजे, ग्राम जुलवानिया (तहसील ठीकरी) में विनय कुमार तहसीलदार तथा महेन्द्र कुमार गुप्ता पटवारी को अतिक्रमण हटाने के उनके शासकीय कर्तव्य को करने से निवारित करने या भयोपरांत के लिए अभियुक्तगण ने सामान्य आशय निर्मित करने तथा अभियुक्त भारत ने पत्थर लेकर तथा अभियुक्त सदन ने गेती लेकर फरियादीगण को मारने के लिए दौड़कर उन पर हमला किया ?

2. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर विनय कुमार लालदास को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया सार्वजनिक स्थान देकर उसे व अन्य व्यक्तियों को क्षोभ कारित किया ?

3. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर विनय कुमार लालदास को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी महेन्द्र कुमार (अ.सा.1), दिलीप यादव (अ.सा.2), मांगीलाल (अ.सा.3), माधव उर्फ माधिया (अ.सा.4), बबनराव चौधरी (अ.सा.5) तथा शुभनारायण मिश्रा (अ.सा.6) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
उक्त विचारीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी महेन्द्र गुप्ता अ.सा.1 का कथन है कि दिनांक 25.12.2010 को शाम 4 बजे की घटना है। वह उक्त दिनांक को ग्राम जुलवानिया में पटवारी के पद पर था तथा तहसीलदार श्री विनय कुमार लालदास के साथ अतिक्रमण हटाने गया था, तब अतिक्रमक भारत एवं सदन ने उन्हें पत्थर से मारा था, किन्तु पत्थर उन्हें नहीं लगा था। अभियुक्त सदन के हाथ में कुल्हाड़ी या गेती थी, जिससे विनय कुमार पर वार किया, तब उसने तहसीलदार का हाथ पकड़कर खींचकर बचा लिया, फिर वे भाग कर अपने वाहन में आ गये थे। अभियुक्तों ने कहा था कि वे अतिक्रमण नहीं हटाने देंगे, इस कारण वे अतिक्रमण नहीं हटा पाये। घटना के समय वह शासकीय कार्य कर रहे थे, जो नहीं कर पाये। साक्षी का यह भी कथन है कि

घटना दिलीप माधव व अन्य लोगों ने देखी थी। उसने थाना ठीकरी पर घटना की लेखी रिपोर्ट दी थी जो प्रदर्शपी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उकसे हस्ताक्षर है। उसकी लेखी रिपोर्ट के आधार पर प्रदर्शपी 2 का अपराध दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उकसे हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा उसकी निशांदाही से बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अतिक्रमकों को पृथक से अतिक्रमण हटाने का सूचना पत्र नहीं दिया था, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि तहसील न्यायालय में अभियुक्तों के विरुद्ध अतिक्रमण के प्रकरण के निराकरण होने पर उन्हें तहसीलदार के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए सूचित किया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि गाँव में कच्चे मकान होते हैं, लेकिन पक्के भी होते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कच्चे मकान को तोड़कर नये निर्माण कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत के सचिव या सरपंच से अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन साक्षी ने यह स्पष्ट किया कि अभियुक्तों के द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि पर निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा था, बल्कि शासकीय चरनोई भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे अभियुक्तों ने पंचायत से अनुमति लिये जाने के संबंध में पत्र दिखाया था। साक्षी ने फिर स्पष्ट किया कि अभियुक्तों द्वारा शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने दिनांक 25.12.10 को शाम 6-7 बजे पुलिस को लिखित में सूचना दी थी। घटनास्थल से तहसील कार्यालय आने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है और तहसील कार्यालय से थाने आने पर लगभग 10 मिनट का समय लगता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि तहसील कार्यालय पहुंचने के बाद उसने आवेदन तैयार किया और प्रदर्शपी 1 का आवेदन लिखने में लगभग 1 घंटे का समय लगा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने थाने पर कितने कागजों पर हस्ताक्षर किये थे, उसे ध्यान नहीं है, लेकिन साक्षी ने प्रदर्शपी 1 व 2 की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल के आसपास 5-7 लोगों के मकान हैं, जो वहाँ लोग इकट्ठा हो गये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने थाने पर रिपोर्ट करने के संबंध में किसी वरिष्ठ अधिकारी से कोई स्वीकृति नहीं ली थी, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि तहसीलदार से मौखिक स्वीकृति ली थी और वे स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को शासकीय कार्य में होने के संबंध में कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रकरण में पेश प्रमाण पत्र दिनांक 27.12.10 को किया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि भारत की पत्नी किरणबाई को इंदिरा आवास में जो भूमि प्राप्त हुई थी वह उसका निर्माण कर रहे थे। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने तहसीलदार को भारत के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट की थी जिसके आधार पर भारत के विरुद्ध प्रकरण चला था। साक्षी ने इस सुझाव से

इंकार किया कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या रिपोर्ट की है अथवा तहसीलदार ने भारत के विरुद्ध कोई अतिक्रमण नहीं होना पाया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त भारत उसे पत्थर लेकर या सदन गेती लेकर मारने नहीं दोड़ा था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 1 की लेखी रिपोर्ट की कार्बन प्रति रखी है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि न्यायालय में साक्ष्य देने के पूर्व प्रदर्शपी 1 की कार्बन प्रति को पढ़ा था।

9. दिलीप असा 2, मांगीलाल असा 3, माधव उर्फ माधिया असा 4 ने अभियुक्तों को पहचानने के अतिरिक्त अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है व पुलिस को प्रदर्शपी 4 से 6 के कथन देने से भी इंकार किया है। संभवत उक्त साक्षीगण अभियुक्तों को पहचानते हैं, इस कारण अभियोजन के समर्थन में कथन नहीं कर रहे हैं।

10. बबनराव चौधरी असा 5 ने दिनांक 25.12.2010 को थाना ठीकरी में महेन्द्र कुमार गुप्ता पटवारी हल्का नम्बर 10 के द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध थाने पर प्रदर्शपी 1 का लेखी आवेदन पेश करने पर अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 218/10 प्रदर्शपी 2 का दर्ज करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने प्रदर्शपी 2 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन अपनी मर्जी से लेखबद्ध की थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि फरियादी ने लिखित आवेदन देते समय उसे शासकीय कार्य करने के संबंध में उपस्थिति का प्रमाण पत्र नहीं दिया था।

11. शुभनारायण मिश्रा असा 6 का कथन है कि दिनांक 26.12.10 को थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 218/10 की विवेचना के दौरान उसने प्रदर्शपी 3 का नक्शा मौका पंचनामा ग्राम जुलवानिया बैड़ीपुरा पहुँचकर बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्त सदन से एक लोहे की गेती प्रदर्शपी 8 के अनुसार और अभियुक्त भारत से एक पत्थर प्रदर्शपी 7 के अनुसार जप्त किया था। उसने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। उसने फरियादी एवं साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा फरियादी से घटना के समय शासकीय सेवा में होने का प्रमाण पत्र जप्त नहीं किया गया, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसे शासकीय सेवा में कार्यरत होने के संबंध में फरियादी द्वारा आवेदन के साथ तहसील कार्यालय ठीकरी के प्रमाण पत्र प्रदर्शपी 1 का दिया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 27.12.10 को जारी किया गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि यदि किसी मकान का निर्माण किया जाता है, तो उसके लिए गड्ढे खोदकर दीवारें

बनाई जाती है। साक्षी ने स्वीकार किया कि नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 3 में दीवारों की ऊँचाई का उल्लेख नहीं किया गया है। साक्षी ने प्रदर्शपी 7 में ओव्हर राईटिंग करना स्वीकार किया है, लेकिन उसने स्पष्ट किया कि उसने उसपर अपने सूक्ष्म हस्ताक्षर किये हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादी एवं साक्षियों ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे अथवा उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर साक्षियों के कथन मन से लेखबद्ध कर लिये गये।

12. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि फरियादी ने जिन साक्षियों द्वारा घटना देखना बताया है, उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और वह पूर्णतः पक्षविरोधी रहे हैं तथा प्रकरण के फरियादी महेन्द्र गुप्ता ने भी अभियुक्तों से राजीनामा न्यायालय में पेश किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण के एक आहत विनय कुमार लालदास की मृत्यु होने से उनके कथन भी नहीं करवाये गये हैं।।

13. यह सही है कि फरियादी द्वारा जिन साक्षियों को घटनास्थल पर उपस्थित होना बताया गया है, वे पक्षविरोधी रहे हैं उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, लेकिन महेन्द्र कुमार गुप्ता असा 1 ने अभियुक्तों द्वारा दिनांक 25.12.10 को शाम लगभग 4 बजे उसके एवं तहसीलदार विनय कुमार द्वारा ग्राम जुलवानिया बेड़ीपुरा में अतिक्रमण हटाने का प्रयास करने के दौरान अभियुक्तों द्वारा उन्हें रोकने एवं अतिक्रमण हटाने में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि घटना के समय वह शासकीय कार्य कर रहे थे, जो वे नहीं कर पाये थे। साक्षी के उक्त कथन का प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई भी खण्डन नहीं हुआ है। इस घटना की लेखी रिपोर्ट महेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा थाने पर दर्ज कराई गई तथा उक्त साक्षी घटना दिनांक को घटना के समय अपने शासकीय कार्य पर ड्यूटी कर रहा था, इस संबंध में प्रदर्शडी 1 का प्रमाण पत्र स्वयं बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्शित कराया गया है। यद्यपि बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षी को भ्रमित करते हुए पूछा गया है कि उसे उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 27.12.10 का दिया हुआ है, जो उसने स्वीकार किया है, लेकिन प्रदर्शडी 1 के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि दिनांक 27.12.10 को उक्त प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि है और साक्षी का कर्तव्य पर उपस्थिति इस प्रमाण पत्र प्रदर्शडी 1 में दिनांक 25.12.10 शाम 4 बजे स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है, जिसके संबंध में शुभनारायण मिश्रा असा 6 ने भी स्वीकारोक्ति की है।

14. बबनराव चौधरी असा 5 ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज की है और शुभनारायण मिश्रा असा 6 ने इस अपराध की विवेचना की है। उक्त दोनों ही साक्षीगण लोक सेवक हैं, जिनहेने अपने पदीय कर्तव्य पर रहते हुए प्रकरण में कार्यवाही की है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के प्रावधान अनुसार यह उपधारणा की जा सकती है कि साक्षियों ने अपना पदीय कार्य नियमित रूप से किया है।

15. अभियुक्तों द्वारा महेन्द्र कुमार गुप्ता असा 1 को उनके शासकीय कार्य अतिक्रमण हटाने के प्रयास के दौरान उन पर हमला करने और उन्हें शासकीय कार्य करने से रोकने के संबंध में महेन्द्र कुमार गुप्ता असा 1 का कथन पूर्णतः विश्वसनीय है, जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्तों ने दिनांक 25.12.10 को शाम लगभग 4 बजे महेन्द्र कुमार गुप्ता एवं विनय कुमार को उनके शासकीय कार्य करने से निवारित करने या भयोपरत करने के आशय से उनपर हमला और आपराधिक बल का प्रयोग किया था जो भा.द.स. की धारा 353 का अपराध है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त सदन एवं भारत को भादस की धारा 353 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 एवं 3 के संबंध में

16. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त अपराध आहत विनय कुमार लालदास के संबंध में है, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के संबंध में उनका कथन अभियोजन की ओर से नहीं हो पाया तथा महेन्द्र कुमार गुप्ता असा 1 ने उक्त अपराध के संबंध में राजीनामा किया है और साक्षियों ने अभियुक्तों द्वारा विनय कुमार को गोलियां देने एवं धमकी देने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्तों को भा.द.स. की धारा 294, 506 भाग-2 के अपराधों में दोषमुक्त किया जाता है।

17. अभियुक्तों को भा.द.स. की धारा 353 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। अभियुक्तगण पिता-पुत्र होकर एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा प्रकरण के आहत ने अभियुक्तों से राजीनामा किया है। अभियुक्तगण पिछले 5 वर्षों से विचारण का सामना कर रहे हैं। अभियुक्त भारत की आयु घटना दिनांक को लगभग 22-23 वर्ष थी तथा अभियुक्त सदन की आयु घटना दिनांक को लगभग 45 वर्ष थी। भा.द.स. की धारा 353 में केवल 2 वर्ष तक का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों को परीक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत होता है। अतः आपराधिक पारिविक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के प्रावधान अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्तगण सदाचारी बने रहेंगे, परिशांति कायम रखने एवं कोई भी अपराध नहीं करने की शर्त पर 2 वर्ष की अवधि के लिए रुपये 10 हजार के स्वयं का मुचलके पेश करें तो अभियुक्तों को परीक्षा पर रिहा किया जाये।

18. आपराधिक परीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 5 के अंतर्गत यह भी आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण फरियादी महेन्द्र को प्रतिकर स्वरूप रुपये 1000-1000 कुल 2000/- रुपये अदा करें और उक्त प्रतिकर की राशि जुर्माने की भाँति वसूल की जा सकती है। अभियुक्तों के जमानत मुचलक भारमुक्त किये जाते हैं। यदि अभियुक्त उक्त शर्तों का पालन नहीं करता तो वह न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होगा और दण्डादेश प्राप्त करेगा।

19. अभियुक्तगण को परीविक्षा पर रिहा करने की सूचना संबंधित थाने की ओर भेजी जाये।

20. प्रकरण में जप्तशुदा एक पत्थर तथा एक लोहे की गेती मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट , अंजड़ जिला बड़वानी (म0प्र0)

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 539/2010 (शासन
तर्फे पुलिस ठीकरी विरुद्ध भारत आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण
पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- भारत पिता सदन, आयु 22 वर्ष
निवासी- ग्राम जुलवानिया
तहसील राजपुर, जिला-बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 26.12.2010

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा की दिनांक :- अभियुक्त दिनांक 27.12.2010 से दिनांक
28.12.2010 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा
है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़,
जिला-बड़वानी, म0प्र0

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट , अंजड़ जिला बड़वानी (म0प्र0)

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 539/2010 (शासन तर्फे पुलिस ठीकरी विरुद्ध भारत आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम	:-	सदन पिता दला, आयु 42 वर्ष, निवासी- ग्राम जुलवानिया तहसील राजपुर, जिला-बड़वानी म.प्र.
गिरफ्तारी का दिनांक	:-	26.12.2010
पुलिस रिमाण्ड की दिनांक	:-	निरंक
न्यायिक अभिरक्षा की दिनांक :-		अभियुक्त दिनांक 27.12.2010 से दिनांक 28.12.2010 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़,
जिला-बड़वानी, म0प्र0